अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

लखुदास बनाम सुरेश आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 131/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
15.06.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक, रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 77/68 के ख.नं. 395 की 1.6190 है0, ख.नं. 433 की 6.3230 है0, ख.नं. 449 की 7.2970 है0 कुल 15.2390 है0 वादभूमि की यथास्थिति बनाये रखें । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 26/07/2023 को पेश हो । सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)	
26/7/23	पत्रावली पेश हुई [illegible] पी.ओ. [illegible] क्र.सं. 01.22 [illegible] 12 [illegible] पत्रावली दि० 3/8/23 को पेश हो	
3/8/2023	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी [illegible] वकील प्रार्थी की [illegible] प्रार्थना पत्र पर [illegible] अतः मूल वाद [illegible] प्रार्थना पत्र भी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)	लखुदास

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:37:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner